बदलते जमाने का अखबार
पीपुल्स समाचार www.peoplessamachar.in

जनसंपर्क समाचार

भाजपा को दिए गए मत से ही क्षेत्र की तस्वीर-तकदीर बदलेगी

ग्वालियर। यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। इस चुनाव में आपके फैसले से ग्वालियर की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। विकास की नई दिशा और दशा तय होने वाली है। ग्वालियर को औद्योगिक नगरी और युवाओं को रोजगार की गारंटी मिलने वाली है। अतः 17 नवम्बर को सोच समझकर अपने इस सेवक पर एक बार फिर भरोसा जताएं और भाजपा प्रत्याशी श्री प्रद्युम्न सिह तोमर के नाम के सामने कमल के फूल वाला बटन दबाकर अपने सेवक की जीत सुनिश्चित करें। संकट के समय जो आपके बीच आपके साथ हमेशा दीवार बनकर खड़ा रहा है उसी प्रद्युम्न सिंह तोमर का साथ दें।उक्त बात शुक्रवार को ग्वालियर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जनसंपर्क करते हुए कही।

ग्वालियर पूर्व को सबसे उन्नत विधानसभा क्षेत्र बनाउंगी: सिंह

ग्वालियर। मैं अपने परिवार रूपी सभी मेरे क्षेत्र के मतदाताओं से वादा करती हूं कि आपके क्षेत्र में विकास के मामलों में कोई कमीं नहीं रहेगी। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मैं भरपूर प्रयास करूंगी। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र को प्रदेश का सबसे उन्नत विधानसभा क्षेत्र बनाउंगी। किसी भी प्रकार की जनसमस्या होगी उसका तत्काल निराकरण किया जाएगा। उक्त बात माया सिंह ने शुक्रवार को वार्ड 56 की विभिन्न गलियों जनसंपर्क करते हुए कही।दौरान रमाकांत महते, राजेश्वर राव, दिनेश कौशिक, अनिल शर्मा बिल्ला, छाबूलाल, मनोज शुक्ला, विवेक भार्गव, कुलदीप दुबे, सीरन गुर्जर, मोंटी यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

पैदल रोड-शो किया डॉ. सतीश सिकरवार ने

ग्वालियर। ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिकरवार ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ इंदरगंज, नया बाजार तथा लोहिया बाजार में पैदल रोड-शो किया। समर्थकों ने कई जगह फलों से तौला गया। एक जगह मिठाई से भी तुलादान किया गया। ढोल ताशों के साथ सतीश के जनसंपर्क के दौरान आतिशबाजी भी चलाई गई। जनसंपर्क के दौरान महापौर शोभा सिकरवार भी साथ चली हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सर्वहारा वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया है। दाल बाजार, लोहिया बाजार के व्यापारियों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में हम दोनों बाजारों के उत्थान के लिए काम करेंगे। जनसंपर्क के दौरान पूर्व विधायक सत्यपाल सिह सिकरवार, सत्यप्रकाश सिकरवार, मानवेन्द्र सिकरवार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

प्रवीण ने किया कई जगह परिजन संवाद कार्यक्रम

ग्वालियर। ग्वालियर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने वार्ड 47 में परिजन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। शुक्रवार की सुबह डा. आहूजा के क्लीनिक की जगह एकत्रित हुए और लोगों से मिलते रहे, और कांग्रेस सरकार के पक्ष में जनसंपर्क किया। इसी दौरान जगन भैया की गली, बापू दंडी की गोठ, कबूतर की हाट से माधवगंज चौराहा, मुदगल की पायगा,झाडू वाला चौक,रॉक्सी रोड, गंजीवाला मोहल्ला, सोहन डेयरी, माधवगंज मेन रोड सहित कई जगह जनसंपर्क किया। इस दौरान विधायक प्रवीण पाठक ने कहा कि एमपी में भाजपा सरकार ने विकास के नाम पर कोई कार्यक्रम नहीं किया। दक्षिण के कार्यक्रम में उन्होंने स्थानीय लोगों से चर्चा करते हुए कहा कि दक्षिण के क्षेत्र में कोई उद्योग धंधा नहीं आया अब युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा?

मिल मजदूरों को नौकरी या अन्य रोजगार दिया जाएगा : सुनील

ग्वालियर। मैं 15 ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा ने क्षेत्र के हिसाब शुक्रवार को जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने जेसी मिल सहित अन्य जगह पहुंचे और संबंधितों से मुलाकात की और कहा कि सालों से बंद पड़ी जेसी मिल, सिमको एवं इन जैसी मिल बंद पड़ी हैं, उन्हें चालू करवाया जाएगा। सबसे पहले उन कर्मचारियों को रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। उन्होंने कहा कि जब यहां फैक्ट्री चालू थीं तब ग्वालियर का नाम प्रदेश और देश में बड़ी इज्जता से लिया जाएगा।

शुक्रवार को सरकारी कर्मचारियों के 1145 वोट डाले गए

डोर-टू-डोर पहुंचे अधिकारी, 3275 बुजुर्ग एंव दिव्यांगों से डलवाए वोट

पीपुल्स संवाददाता ● ग्वालियर
मो.नं. 9644644430

बुजुर्ग एवं दिव्यांगो के शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत ग्वालियर जिले में चुनाव ड्यूटी कर रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डाक मत पत्र के जरिए मताधिकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मतदान दलों के प्रशिक्षण स्थल पर विधानसभा क्षेत्रवार बनाए गए सुविधा केन्द्रों में अब तक कुल 6 हजार 257 डाक मत पत्र डाले जा चुके हैं। प्रशिक्षण के पांचवे दिन यानि शुक्रवार 10 नवम्बर को 1145 अधिकारियों व कर्मचारियों ने डाक मत पत्र के जरिए अपने मताधिकार का उपयोग किया। डोर-टू - डोर पहुंचकर निर्वाचन की ड्यूटी पर लगे निर्वाचन कर्मियों ने 3275 वोट डलवाए हैं।

96 वर्षीय दुर्गाबाई ने घर से वोट डाला है। 84 वर्षीय छोटी बी ने घर पर वोट डालकर खुशी व्यक्त की है। इस तरह का पहला मौका था जब निर्वाचन आयोग ने डोर टू-डोर जाकर बुजुर्गों एवं दिव्यांगों से वोट डलवाए। सभी जगह निर्वाचन शाखा का एक-एक दल भेजा गया था। संयुक्त कलेक्टर अशोक चौहान ने बताया कि चुनाव आयोग का यह निर्देश था जिसके हमने पालन किया है।

यहां भारतीय यात्रा एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान में मतदान दलों को तृतीय एवं फायनल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहां पर विधानसभा क्षेत्रवार डाक मत पत्रों के लिये सुविधा केन्द्र बनाए गए हैं। डाक मत पत्र डालने का काम प्रशिक्षण स्थल पर 11 नवम्बर को भी जारी रहेगा। डाक मत पत्र के नोडल अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर अशोक चौहान ने बताया कि अब तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-14 ग्वालियर ग्रामीण के सुविधा केन्द्र पर 561, विधानसभा क्षेत्र-15 ग्वालियर में 1346, विधानसभा क्षेत्र-16 ग्वालियर पूर्व में 2099, विधानसभा क्षेत्र-17 ग्वालियर दक्षिण में 1073, विधानसभा क्षेत्र-18 भितरवार में 413 एवं विधानसभा क्षेत्र-19 डबरा (अजा) के लिये बनाए गए सुविधा केन्द्र में 765 डाक मत पत्र डाले जा चुके हैं।

84 वर्षीय छोटीबी वोटर कार्ड दिखाती हुई।

रमाकांत अपना वोट डालने के बाद कार्ड दिखाते हुए।

शुक्रवार को भी डलेंगे वोट

तृतीय चरण के प्रशिक्षण के पांचवे दिन यानि शुक्रवार को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-14 ग्वालियर ग्रामीण के सुविधा केन्द्र में 85, विधानसभा क्षेत्र-15 ग्वालियर में 317, विधानसभा क्षेत्र-16 ग्वालियर पूर्व में 375, विधानसभा क्षेत्र-17 ग्वालियर दक्षिण में 295, विधानसभा क्षेत्र-18 भितरवार में 33 एवं विधानसभा क्षेत्र-19 डबरा (अजा) के लिये बनाए गए सुविधा केन्द्र में 40 डाक मत पत्र डाले गए।

23 दिसम्बर से सप्ताह में दो दिन रद्द रहेगी बरौनी

पीपुल्स संवाददाता ● ग्वालियर
मो.नं. 9644644430

मानसून के जाने से पहले ही रेलवे को सर्दी का डर सताने लगा है। अक्तूबर माह की शुरूआत में ही रेलवे ने सर्दियों में चलने वाली ट्रेनों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसकी शुरूआत मंडल से चलने वाली ट्रेनों से कर दी गई है। रेलवे ने 11123 ग्वालियर - बरौनी सोमवार एवं गुरुवार को 23 दिसम्बर से 26 फरवरी 2024 तक रद्द करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन अब 4 दिसम्बर, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 जनवरी 24- 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29, फरवरी 24- 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 को रद्द रहेगी। व 11124 बरौनी - ग्वालियर मंगलवार एवं शुक्रवार 5 दिसम्बर, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29, जनवरी 24- 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30, फरवरी 24- 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 फरवरी तक रद्द रहेगी। फिलहाल यह ट्रेन अभी फरवरी माह तक ही रद्द रहेंगी। बाद में कोहरे की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए रद्द ट्रेनों की तारीख में वृद्धि की जा सकती है।

नॉन इंटरलॉकिग कार्य के चलते ट्रेनों का किया रद्दीकरण

आगरा मंडल के मथुरा स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग कार्य में किए जा रहे नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कई ट्रेनों रेलवे को रद्द कर दिया है। इन ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

पश्चिमी विक्षोभ : मौसम में आया बदलाव, तेज छींटे आए

ग्वालियर। पश्चिमी विक्षोभ का असरग्वालियर तक आया तो देर शाम को तेज छींटे आए ।हालांकि ज्यादा देर तक बारिश नहीं हो सकी। मौसम विभाग का कहना है कि यह स्थानीय प्रभाव के कारण बारिश के छींटे आए हैं। मौसम विज्ञानी प्रसून पुरवार का कहना है कि न्यूनतम पारा 17.2 तथा अधिकतम पारा 30.5 दर्ज किया गया है।

कैंटोमेंट एरिया में 22 पोलिंग बूथ पर व्यवस्था बनाने ननि अमला लगा तैयारी में

ग्वालियर। कैंटोमेंट एरिया में विधानसभा चुनाव-2023 की तैयारियों को लेकर नगर निगम अमले ने तैयारी कर ली है। जिसके चलते 22 मतदान केन्द्रों पर रैंप, रैलिंग, फर्नीचर, सहित पानी की व्यवस्था पूरी हो गई है। हालांकि यह व्यवस्था कैंटोमेंट बोर्ड को करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक कैंटोमेंट एरिया सिविल घोषित नहीं हुआ है।

ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में कैंटोमेंट एरिया क्षेत्र के 22 मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 20 शासकीय स्कूलों व दो अन्य बिल्डिगों को चिन्हित किया गया है। जिसकी व्यवस्था बनाने के लिए नगर निगम द्वारा इंजीनियरों की नियुक्ति कर 9 नंवबर तक सभी कार्य पूर्ण कर लिए गए है। जानकारों की मानें तो पहले विधानसभा व लोकसभा चुनाव के दौरान भी निगम द्वारा खर्च की जाने वाली राशि कैंटोमेंट बोर्ड द्वारा वापस नहीं की गई है और वर्तमान में भी होने वाली व्यवस्थाओं पर खर्च की गई लाखों रूपये की राशि वापस नहीं मिलेगी। उल्लेखनीय है कि निगम द्वारा कैंटोमेंट एरिया को सिविल एरिया घोषित करने के चलते 260 करोड़ से ज्यादा का एस्टीमेंट रक्षा मंत्रालय दिल्ली को दे दिया है और बजट लेने के एवज में होने वाले कार्यों की विस्तुत रिपोर्ट भी दिल्ली में बैठे अधिकारियों को प्रस्तुत हो चुकी है और उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है।

पाठशाला के बच्चों ने 12वीं पास मूवी देखी

ग्वालियर। शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित पाठशालाओं में पढ़ने वाले 100 बच्चों ने शुक्रवार को मल्टीप्लेक्स में 12वीं पास फिल्म देखने पहुंचे, बच्चों में बड़ा उत्साह था। यह फिल्म मनोज शर्मा जो इस समय महाराष्ट्र में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, यह फिल्म उन्हीं पर केंद्रित है। फिल्म देखने की व्यवस्था पवन दीक्षित द्वारा की गई थी। यह पिक्चर ग्वालियर के अनुराग पाठक विक्रय कर अधिकारी द्वारा लिखे उपन्यास 12वीं फेल पर बनायी गई है। पिक्चर के समापन सत्र के समय डॉ. जगमोहन द्विवेदी , विक्रय कर अधिकारी अनुराग पाठक, पाठशाला समूह के अध्यक्ष ओपी दीक्षित,मनोज पांडेय, राम स्वदेश राठौर उपस्थित थे।

ग्वालियर। आबकारी विभाग ग्वालियर द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान (स्विप) के अंतर्गत ग्वालियर किले पर पतंग प्रतियोगिता का आयोजन 10 नवम्बर 2023 शुक्रवार को किया गया। मौक पर सहायक आबकारी संदीप शर्मा के नेतत्व में ज़िले का समस्त कार्यपालिक स्टॉफ उपस्थित रहा।

छह अलग-अलग प्रतिष्ठान पर दबिश

ग्वालियर। खाद्य सुरक्षा दल ने शुक्रवार को दूध, मावा की मिठाई, मठरी, के सैंपल जब्त किए हैं. खाद्य सुरक्षा दल ने कहा कि हमने मिष्ठान सामग्री के सैंपल लिए हैं. सभी दलों ने सैंपल भोपाल भेज दिए हैं।

पकंज शर्मा कांग्रेस में शामिल

ग्वालियर। भाजपा के वरिष्ठ नेता पकंज शर्मा ने दिग्विजय सिह की सभा में सुनील शर्मा के समर्थन में भाजपा छोड़ने का जिक्र किया कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। यह कार्यक्रम गत रोज हुआ था।

FORM NO. IV
(See Sub Rule 2(a) of Rule 5)
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL (H.NO. 797-II Shantikunj, South Civil Lines, Jabalpur (MP)
(Areas for Jurisdiction: Madhya Pradesh)
(Summons under Sub-Section (4) Section 19 of the Act, read with Sub-Rules 2A) of rule 5 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.
ORIGINAL APPLICATION
No. 448 of 2020
Applicant: **Punjab National Bank** VERSUS
Defendants: **Shri Ram Gopal Agrawal**

To,
Shri Ram Gopal Agrawal S/o Shri Matadeen Agrawal Prop.-Nandini Saree Collections, Shop No. 210 - 211, 2nd floor, Kamla Bansal Market, Near Bus Stand, Sant Hirdaram Nagar, Bairagarh, Bhopal (M.P.)
Also at:- T 3, Villa Regency, Vijay Nagar, Lalghati, Bhopal (M.P.) - 462001

WHEREAS, OA No. **448 /2020** was listed before Hon'ble Presiding Officer on **05/01/2021** Whereas, the Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you recovery of debts of **Rs. 20,78,479.80/-**

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you the defendants are directed as under:-

1. To show case within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted.
2. To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under Serial No. 3A of the Original Application.
3. You are restrained from dealing without disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under Serial No. 3A of the Original Application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
4. You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest created and/ or other assets and properties specified or disclosed under Serial number 3A of the Original Application without the prior approval of the Tribunal.
5. You shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds In the account maintained with the bank of financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the written statement with a copy there of furnished to the applicant and to appear on **22/12/2023** at **10.30 A.M.** falling which the application shall be heard and decided in your absence.

Give under my hand and the seal of the Tribunal, this **30th** day of **September 2023.**
Authorized Officer

FORM NO. IV
(See Sub Rule 2 (a) of Rule 5)
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL H.No. 797-II, Shantikunj, South Civil Lines, Jabalpur (M.P.)
(Area of Jurisdiction: Madhya Pradesh)
(Summons under Sub-Section (4) of Section 19 of the act, read with sub-rule 2A) of rule 5 of Debts Recovery Tribunal (Procedure) rule 1993
ORIGINAL APPLICATION
No. 650 of 2020
Punjab National Bank ....Applicant v/s
M/s Ram Krishna Motors & Others
.....Defendants

To,
1. **M/s Ram Krishna Motors** Through its Proprietor: Mr. Vinod Singal Office/Showroom: Modern Plaza, Anand Mishra Marg, Opp. Nagar Nigam Parking of Rajeev Plaza, Jayendraganj, Lashkar, Gwalior (M.P.)
2. **Mr. Vinod Singhal S/o Shri Dwarika Prashad Singhal** Singhal Bhawan, Opp. Marataha Boarding, Jayendraganj, Lashkar, Gwalior (M.P.)
3. **Smt. Sarla Singhal w/o Mr. Vinod Singhal** Singhal Bhawan, Opp. Maratha Boarding, Jayendraganj, Lashkar, Gwalior (M.P.)
4. **Shri Akash Singhal S/o Mr. Vinod Singhal** Singhal Bhawan, Opp. Marataha Boarding, Jayendraganj, Lashkar, Gwandr (M.P.)

WHEREAS, OA No. **650/2020** was listed before Hon'ble Presiding officer on **06/01/2021** Whereas, the Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on said application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you recovery of debts of **Rs. 56,63,935.74/-**

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you the Defendants are directed as under:

1. To show cause within thirty days of the service of summons as to why relied prayed for should not be granted.
2. To disclose particulars of the properties assets other than properties and assets specified by the applicant under serial no. 3A of the original Application.
3. You are restrained from dealing without disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial No. 3A of the Original Application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
4. You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, expect in the ordinary course of his business any of the assets over with security interest created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial no. 3A of the Original Application without the prior approval of the Tribunal.
5. You shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank of financial institution holding security interest over such assets.
6. You are also directed to fill the written statement with a copy there of furnished to the application and to appear on **21/12/2023** at 10:30 a.m. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the tribunal **23rd** day of **September 2023.**
REGISTRAR

FORM NO. IV
(See Sub Rule 2 (a) of Rule 5)
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL H.No. 797-II, Shantikunj, South Civil Lines, Jabalpur (M.P.)
(Area of Jurisdiction: Madhya Pradesh)
(Summons under Sub-Section (4) of Section 19 of the act, read with sub-rule 2A) of rule 5 of Debts Recovery Tribunal (Procedure) rule 1993
ORIGINAL APPLICATION
No. 449 of 2022
Punjab National Bank ....Applicant v/s
Mr. Manoj Kumar Bhargava & Others
.....Defendants

To,
1. **Mr. Manoj Bhargava S/o Shri Matadeen Bhargava,** R/o 40/401, Plot no. 09, Block B, Ashok Colony, Khasgi Bazaar, Lashkar, Gwalior (M.P).
2. **Smt. Padma Bhargava w/o Manoj Bhargava** R/o 40/401, Plot no. 09, Block B, Ashok Colony, Khasgi Bazaar, Lashkar, Gwalior (M.P)
3. **Shri Krishna Rao Argade S/o Gopal Rathore Argade** E- 5/31, Windsar Hill, Sirol, Gwalior (M.P.)
4. **Shri Rajendra Prasad Rathor S/o Shri Gaya Prasad Rathor** 36, Near PGV Collage, Jiwajiganj, Lashkar, Gwalior (M.P.)

WHEREAS, OA No. **449/2022** was elected before Honoable Presiding officer on **21/04/2022** Whereas, the Honble Tribunal is pleased to issue summons/notice on said application undersection 19(4) of the Act, (OA) filed against you recovery of debts of **Rs. 47,61,794.97/-**

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you the Defendants are directed as under:

1. To show cause within thirty days of the service of summons as to why relied prayed for should not be granted.
2. To disclose particulars of the properties assets other than properties and assets specified by the applicant under serial no. 3A of the original Application.
3. You are restrained from dealing without disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial No. 3A of the Original Application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
4. You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, expect in the ordinary course of his business any of the assets over with security interest created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial no. 3A of the Original Application without the prior approval of the Tribunal.
5. You shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank of financial institution holding security interest over such assets.
6. You are also directed to fill the written statement with a copy there of furnished to the application and to appear on **29/11/2023** at 10:30 a.m. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the tribunal **23rd** day of **September 2023.**
REGISTRAR

सांकेतिक कब्जा सूचना

ICICI Bank
शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लि., कार्यालयनं. 201-बी, दूसरी मंजिल, रोड नं.1
प्लाट नं.-बी3, वाईफाई आईटी पार्क, वागले इंडस्ट्रीयल एस्टेट, ठाणे, महाराष्ट्र-400604

अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निमाण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के अंतर्गत प्रतिभूत लेनदार (प्राधिकृत अधिकारी) के प्राधिकृत अधिकारी के रुप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002, (नियमावली) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के अंतर्गत मांग सूचनांए जारी की थी, जिसमें उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर निम्न वर्णित कर्जदारों को ऋण समझौते के अनुपालन में देय तथा उक्त संबंधित मांग सूचनाओं में विशिष्ट रूप से वर्णितानुसारराशिका प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहा, इसलिए उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में यहां इसमें नीचे विवरणित संपत्तियों का सांकेतिक कब्जा ले लिया है। संपत्तियों के सांकेतिक कब्जे की तिथि सहित विवरण निम्न वर्णितानसार हैं। कर्जदार को विशेष रूप से तथा जन साधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा उक्त संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की बकाया राशि के प्रभाराधीन होगा।

स. क्र.	ऋणकर्ता का नाम / ऋण खाता संख्या	संपत्ति का विवरण/सांकेतिक कब्जा दिनांक	डिमांड नोटिस दिनांक/ डिमांड नोटिस राशि(रु.)	शाखा का नाम
1.	मेसर्स भवानी टेक्सटाइल्स प्रतिनिधित्व द्वारा मालिक श्री रमेश चंद जेसवानी पिता स्वर्गीय श्री कीमतराम जेसवानी एवं श्री विनोद जसवानी पिता स्व. श्री रमेश चंद और श्रीमती सरस्वती देवी जेसवानी पति श्री रमेश चंद - 185805500049	संपत्ति- 1) नगर पालिका ग्वालियर की सीमा के अंतर्गत नगरपालिका क्रमांक 48/66/10, (पुरानी नगरपालिका क्रमांक 55/29), सर्वे क्रमांक 602, वार्ड क्रमांक 57, आंग्रे की गोठ, सिटी लश्कर में स्थित आवासीय संपति, मध्य प्रदेश। संपत्ति- 2) नगर पालिका ग्वालियर, मध्य की सीमा के भीतर नगरपालिका मकान नंबर 48/84 (पुराना नगर निगम मकान नंबर 18 हल्का नंबर 36), वार्ड नंबर 44, संभाजी कॉलोनी, आंग्रे का बाजार, सिटी लश्कर में स्थित आवासीय संपत्ति प्रदेश/ 07 नवम्बर 2023	जुलाई 17, 2023 Rs. 23,84,945.21/-	ग्वालियर

उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ता(ओं)/जमानतदार को भुगतान की राशि चुकाने हेतु 30दिन का समय दिया गया है। इस सूचना दिनांक से 30 दिवस के पश्चात नियम 8 व 9 सिक्युरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 प्रावधान के अंतर्गत उनकी बंधक संपति नीलाम कर दी जावेगी।

दिनांक : नवम्बर 10, 2023
स्थान : ग्वालियर

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

ICICI Home Finance
कार्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई होम फायनेंस कंपनी लिमिटेड आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400059, भारत
शाखा कार्यालय: प्रथम मंजिल, द एम्पायर, कार्यालय नं. एफ-05, 33-सिटी सेन्टर, वार्ड नं. 30, इनकम टेक्स बिल्डिंग के पास, माधवराव सिंधिया पार्क, ग्वालियर (मप्र)-474011

[नियम 8(6) के परंतुक देखें]
अचल संपत्ति के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) 2002 नियमावली के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस,

एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी और गारंटीकर्ता (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका सांकेतिक कब्जा अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण के अनुसार, "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" पर बेचा जाएगा;

क्रमांक	ऋणी का नाम/सह ऋणी/गारंटर/कानूनी वारिस/ ऋण खाता संख्या	सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण, यदि कोई हो	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य बयाना जमा	संपत्ति निरीक्षण का तिथि व समय	नीलामी की तिथि और समय
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	राजु शिवहरे (ऋणकर्ता) सोनू शिवहरे (सह-ऋणकर्ता) प्रीति शिवहरे (सह-ऋणकर्ता) नेकसियाराम शिवहरे (सह-ऋणकर्ता) ऋण खाता नं. LHGWA00001303299	मकान नं. 630 मुन. मकान नं.9/38 नरसिंह नगर चार शहर का नाका ग्वालियर-474001	Rs. 32,90,597/- अक्टूबर 30, 2023	Rs. 55,75,410/- Rs. 5,57,550/-	दिसम्बर 04, 2023 11:00 AM 03:00 PM	दिसम्बर 19, 2023 02:00 PM 03:00 PM

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी ऑक्शन ग्लोब टेक की वेबसाइट (यूआरएल लिंक-https://BestAuctionDeal.com/) पर आयोजित की जाएगी। गिरवी रखने वालों/नोटिस को 18 दिसम्बर 2023, सायं 05.00 बजे से पहले तक अतिरिक्त ब्याज के साथ कुल देय राशि का भुगतान करने का अंतिम मौका दिया जाता है अन्यथा इन सुरक्षित संपत्तियों को उपरोक्त अनुसूची के अनुसार बेचा जाएगा।

संभावित बोलीदाताओं को **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, प्रथम मंजिल, द एम्पायर, कार्यालय नं. एफ-05, 33-सिटी सेन्टर, वार्ड नं. 30, इनकम टेक्स बिल्डिंग के पास, माधवराव सिंधियापार्क, ग्वालियर (मप्र)-474011** में 18 दिसम्बर2023 को शाम 04:00 बजे तक या उससे पहले बयाना राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस / डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) (कॉलम ई देखें) जमा करना होगा। संभावित बोलीदाताओं को पंजीकरण फॉर्म और बोली नियम और शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति भी जमा करनी होगी **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, प्रथम मंजिल, द एम्पायर, कार्यालय नं. एफ-05, 33-सिटी सेन्टर, वार्ड नं. 30, इनकम टेक्स बिल्डिंग के पास, माधवराव सिंधिया पार्क, ग्वालियर (मप्र)-474011** को 18 दिसम्बर 2023 या उससे पहले 05.00 बजे से पहले जमा की जा सकती है। बयाना राशि जमा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) **ग्वालियर**- में देय "आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड-नीलामी" के पक्ष में एक राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक से होना चाहिए।

निरीक्षण, नीलामी के नियमों और शर्तों या निविदाओं को प्रस्तुत करने के संबंध में किसी भी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए, कृपया आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से 022-69974300 या हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग पार्टनर नेक्ससेन सॉल्यूशन प्रायवेट लिमिटेड पर संपर्क करें।

प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया देखें https://www.icicihfc.com/

दिनाक : नवम्बर 11, 2023
स्थान : ग्वालियर

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई होम फायनेंस कंपनी लिमिटेड